

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21-7-83

अधिसूचना
आयकर।

सं० 5903 का०सं० 203/91/84-आ०को०।।। : सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित कि-निश्चित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ कठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा III के खंड III के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :-

- i. यह कि डॉ० रामाजिनी रिसर्च इंस्टिट्यूट अनुसंधान संस्था वैज्ञानिक-सेवा के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रहेगा ।
- ii. यह कि उक्त प्रतिष्ठान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रसंग में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।
- iii. यह कि उक्त प्रतिष्ठान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संबन्धित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिचयपत्रिका, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून को विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था
डॉ० रामाजिनी रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आल्फ्रड पेशावर इंस्टीट्यूट
वैज्ञानिक-सेवा अनुसंधान संस्था ।

यह अधिसूचना 1.4.84 से 31.3.86 तक की अवधि के लिए